न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 2/20 जी.सी.एम.एस. 2020/00061

मुरलीशंकर पुत्र श्रवणलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पालाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी 405, जवाहर कोलोनी, झालावाड तहसील झालरा पाटन जिला झालावाड।

—प्रार्थी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— अप्रार्थी—

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री मनोज कुमार शर्मा

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 02.02.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी द्वारा जर्ये एडवोकेट प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते की आराजी माल ग्राम पालाहेडा पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास की खाता संख्या नई 92 की खसरा नबंर 304 की रकबा 2.24 है0, आराजी स्थित है।

यह कि उक्त आराजी के सम्वत् 2054—55 में प्रार्थी के पिता श्रवनलाल पुत्र धन्नालाल खातेदार थे उनकी मृत्यु के पश्चात दिनांक 14.06.1995 को फोती/विररासत इन्तकाल उनके वारिसान के नाम दर्ज किया उसमें भी प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों जयंतीशंकर, श्याम मनोहर, बृजमोहन के नाम तस्दीक कर दिया गया था उसके पश्चात जमाबंदी सम्वत् 2053 से 56 में प्रार्थी व अपने भाईयों के नाम राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम भी श्रवणलाल दर्ज हो रहा है उसके पश्चात सम्वत् 2058 से 77 में हुये सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा श्रवणलाल के बजाय मदनलाल के बजाय मदनलाल दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम श्रवणलाल है तथा उक्त त्रृटि राजस्व कर्मचारियों के द्वारा कि गयी लिपिकीय त्रृटि है जिसे शुद्व करवानें का प्रार्थी को पूर्ण विधिक अधिकार हाशिल है उक्त गलति सेटलमेंट के अमिनों द्वारा की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते में कृषि आराजी माल ग्राम पालाहेडा पटवार हल्का वालूहेडा भू.अभिलेख निरीक्षक देवली तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 92 कि खसरा नवंर 304 की रकवा 2.24 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मदनलाल के स्थान पर श्रवणलाल दर्ज करने की कृपा करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलवी जारी की गई, प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम पालाहेडा पटवार हल्का बालूहेडा भू.अभिलेख निरीक्षक देवली तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 92 कि खसरा नबंर 304 की रकबा 2.24 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मदनलाल के स्थान पर श्रवणलाल दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा किसी भी प्रकार से कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है।

साथ ही वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र, जमाबंदी सम्वत् 2053 से 56, स्वयं की वोटर पहचान –पत्र, जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम श्रवणलाल दर्ज हो रहा है।

हमारे द्वारा वाद के अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों, जवाब सरकार के आधार पर ग्राम पालाहेडा पटवार हल्का बालूहेडा भू.अभिलेख निरीक्षक देवली तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 92 कि खसरा नबंर 304 की रकबा 2.24 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मदनलाल के स्थान पर श्रवणलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम ग्राम पालाहेडा पटवार हल्का बालूहेडा भू.अभिलेख निरीक्षक देवली तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 92 कि खसरा नबंर 304 की रकबा 2.24 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मदनलाल के स्थान पर श्रवणलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
राजेन्द्र शर्मा (आर.ए.एस.)